

मिसिल संख्या ए-60011/7/2003-पी एच (सी डी एल)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वी.बी.डी. अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली।

दिनांक : २५ अक्टूबर, 2016

सूचना

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय - राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक के पद के मसौदा भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में अपनी टिप्पणी/आपत्तियां इस सूचना के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने के ३० दिनों के भीतर प्रेषित करें। ३० दिनों के बाद प्राप्त हुई टिप्पणी/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(अम्बा दत बवाड़ी)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :— 23061510

सहायक पद हेतु भर्ती नियमावली
राष्ट्रीय बैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- दिल्ली-54

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या पद वेतनमान	चयन या अन्यथा जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक और अन्य अद्यताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अद्यताएं की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती: सीधे होगी या प्रोनति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सहायक	6 (छ.)	ग्रुप 'बी' अराजपत्रित अनुसंचिवीय	वेतन बैंड- आधार पर प्रोनति रु. + ग्रेड वेतन चयन रु. 4200	बैंड- आधार पर प्रोनति द्वारा चयन रु. 4200	बरीयता लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोनति द्वारा 100%

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p>ऐसे यूडीसी/यूडीसी-मह-कम्प्यूटर आपरेटर की 100% प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>(12)</p> <p>1. एनबीबीडीसीपी के प्रधारी उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (अध्यक्ष) 2. अपर निदेशक, एनबीबीडीसीपी (सदस्य) 3. निदेशक (ए& बी), स्वा.सेवा महानिदेशालय (सदस्य) 4. डीडीए, पीएच (सीडीएल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (सदस्य)</p>	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं</p>